

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 जून 2023—आषाढ़ 6, शक 1945

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2023

क्र. 4081-1353603-2023-आठ.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 210क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 184 में यथाविहित जुर्माने की राशि की दो गुना जुर्माने की राशि प्रवृत्त करती है.

No. 4081-1353603-2023-VIII.— In exercise of the powers conferred by Section 210 A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, enforces twice the amount of fine as prescribed in section 184 of the said Act, for driving a motor vehicle dangerously.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सिबि चक्रवर्ती, अपर सचिव.